







## एक नजर

### मोटरसाइकिल दुर्घटना में दो घायल

**गढ़वा।** सदर थानांतर्गत बलिंगढ़ गांव में बाइक से गिरकर दो युवक घायल हो गए। घायलों में बलिंगढ़ निवासी मुन्नी राम का पुत्र 15 वर्षीय गोविंद कुमार और पलामू जिलांतर्गत चैनपुर थाना के धमुंवा गांव निवासी राजेंद्र राम का पुत्र रौशन कुमार शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि रौशन कुमार अपने घर से ननिहाल बलिंगढ़ गांव गया था। इस दौरान उसने गोविंद कुमार के साथ मोटरसाइकिल से गांव में ही दुकान में कुछ सामान लेने जा रहा था। उसी क्रम में उसकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उससे दोनों घायल हो गए।

### सड़क दुर्घटना में युवक घायल



**भवनाथपुर।** थाना क्षेत्र अंतर्गत पंडवा चट्टान स्थित शिपूजन पेट्रोल पंप के समीप सोमवार सुबह मुख्य पथ पर बाइक दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक यूपी के शाहगंज निवासी पिंटू बियार पिता रामचंद्र बताया जा रहा है। थाना के गश्ती दल द्वारा घायल अवस्था में उसे ईलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा उसका नाम पता कर परिजनों को सूचित करने के बाद अस्पताल पहुंचे परिजन उसे बेहतर ईलाज के लिए राबर्ट्सगंज ले गए। युवक केतार थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर अपने रिश्तेदार के घर से भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अरसली बारात आया था। सोमवार सुबह तीन बजे मुकुंदपुर वापस जाने के क्रम में उसकी तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

### सफल प्रतिभागियों के बीच पुरस्कार वितरण



**रंका।** एसके इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के सर्वांगीण विकास के सोमवार को खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किए विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रिंसिपल जगन्त, वाइस प्रिंसिपल बंटी राय द्वारा बैडमिंटन, क्रिकेट, ड्राइंग आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिए विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि विद्यालय में काफी अनुभवी शिक्षक हैं। बच्चों को काफी गुणवत्ता शिक्षा दी जा रही है।

# बारातियों से भरी कमांडर पलटने से एक की मौत, एक घायल

### ◄ गांव में खुशी का माहौल गम में बदला

**नवीन मेल संवाददाता डंडई।** थाना क्षेत्र के लवादेनी व चिनिया पहाड़ी में रविवार रात्रि उस वक्त खुशी का माहौल गम में बदल गया जब दरवाजा पर पहुंचने से पहले ही बारातियों से भरी कमांडर पहाड़ी के नीचे पलट गई। उक्त घटना में कमांडर वाहन पर बाराती आ रहे रंका थाना क्षेत्र के हूंनहेकला गांव निवासी 60 वर्षीय शिवनाथ यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई।65 वर्षीय दुखी यादव गंभीर रूप से घायल हो गए।

## गृहरक्षक पर हमला करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, भेजा जेल

**नवीन मेल संवाददाता कांडी।** गृहरक्षक पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने मेराल थाना क्षेत्र के खोरीडीह गांव निवासी हरिगोविंद तिवारी और कांडी थाना के पतहरिया गांव निवासी सूरज पांडेय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अविनाश राज ने बताया कि मामले के वादी मझिआंव थाना के करई गांव निवासी तपेंद्र कुमार सिंह वर्तमान गृहरक्षक उत्तर कोयल भीम बराज



घटना के बाद घायल अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार कमांडर रंका थाना क्षेत्र के

हूंनहेकला गांव से बारात लेकर डंडई थाना क्षेत्र के रांरो गांव आ रही थी। इस बीच चिनिया घाटी उतरने के दौरान अचानक सामने से आ रही बस को साइड देने के

## एसडीओ ने चार पटाखा दुकानों में छापेमारी की

**नवीन मेल संवाददाता गढ़वा।** सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने एहतियात के तौर पर शहर में अवैध पटाखा बिक्री की जांच को लेकर छापेमारी की। गढ़वा में जिन चार दुकानों में छापेमारी की गई उन सभी दुकानों में पूर्व में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में पटाखों का अवैध बिक्री का आरोप था। इस छापेमारी के दौरान इन सभी दुकानों में किसी भी रूप में पटाखा या कोई अन्य विस्फोटक नहीं मिला। इन दुकानदारों ने बताया कि होली के आस पास की गई एसडीएम की छापेमारी के बाद उन्होंने इस व्यवसाय को छोड़ दिया था। एसडीएम ने उन सबको कहा कि बिना लाइसेंस पटाखा की बिक्री नहीं होने चाहिए। अगर चोरी छिपे बेचते हुए बाद में कभी पकड़े गए तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हाल में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा



है कि बारात आदि में रात 12 बजे तक या कई बार तो इससे भी देर रात तक पटाखे फोड़ने की सूचनाएं मिल रही हैं। आधी रात के बाद भी कुछ लोगों के इस कृत्य से न केवल हजारों लोगों की नॉंद खराब होती है, बल्कि कई बार विधि व्यवस्था की असहज स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि रात्रि 10 बजे के बाद पटाखा, आतिशबाजी का मामला संज्ञान में आता है तो ऐसे लोगों पर संबंधित थाना प्रभारी वातु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि एक असामाजिक परंपरा चली आ रही है कि शादी विवाह या अन्य आयोजनों

के अवसर पर लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। इस कृत्य से कई बार आगजनी, घायल होने की घटनाएं तथा कई बार तो गोली लगने से मौके पर हताहत हो रहे हैं जैसी घटनाएं भी प्रकाश में आती हैं। जिससे विधि-व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपील की कि अभी लगातार शादी विवाह आदि का समय चल रहा है। इन आयोजनों में हर्ष फायरिंग न करें, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी के साथ हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

## सांप काटने से घायल

### आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश

**मेराल।** सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में सोमवार को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वीरेंद्र कुमार ने स्वास्थ्य संहिया के साथ बैठक की। बैठक में आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर निर्देश दिया गया। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर जिला मुख्यालय में उपायुक्त शेखर जमुआर की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। सभी लोगों को निर्देश दिया गया था कि अधिक से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। इसके लाभ से कोई व्यक्ति वंचित न रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगातार दो दिनों से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए संहिया व अन्य कर्मियों के साथ बैठक कर अभियान को तेज करने के लिए निर्देश दिया गया। ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य संहिया के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है, जिसका लाभ लोगों को लेना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से अपील किया की कि जो भी लोग अभी तक आयुष्मान कार्ड से वंचित हैं। वह शीघ्र आयुष्मान कार्ड बनाकर इस योजना का लाभ लें। बैठक में डॉ. दीपक सिन्हा, दीपेश तिवारी, गोवर्धन कुमार, मंटू कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य संहिया बैठक में शामिल थे।

**रंका।** प्रखंड के तमगेर पंचायत केदाल गांव में सोमवार को ग्रामीण शशुज्ज सिंह सांप ने काट लिया। परिजनों ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रंका में ईलाज के लिए तत्काल भर्ती कराया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज के लिए रेफर कर दिया गया। इसके बाद पूर्व प्रमुख लीलावती देवी ने शत्रुघ्न सिंह को अपने वाहन से नवजीवन अस्पताल ले गई। वहां पर चिकित्सा के बाद ग्रामीण की स्थिति बेहतर है। बताया जाता है शत्रुघ्न सिंह खेत के मेढ़ से होकर घर आ रहे थे। इस दौरान मेढ़ पर सांप ने उन्हें काट लिया।

| कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>—: आम सूचना —:</p> <p>एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि वित्तीय वर्ष 2025–26 का होलिंग टैक्स 30 जून, 2025 के पहले जमा करने पर नगर पंचायत, लातेहार द्वारा करदाताओं को कर (वर्तमान वित्तीय वर्ष) में अधिकतम 15% तक की छूट देय है, जो निम्न प्रकार हैं :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सभी करदाताओं को 05% की छूट।</li> </ul> <p><b>इसके अतिरिक्त</b> :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ होलिंग महिला के नाम होने से 05% की छूट।</li> <li>➤ वरिष्ठ नागरिक होने से 05% की छूट।</li> <li>➤ स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5% की छूट।</li> <li>➤ भारतीय सेना में काम करने वाले को 05% की छूट।</li> <li>➤ ट्रांसजेन्डर होने पर 05% की छूट।</li> <li>➤ दिव्यांग होने पर 05% की छूट।</li> <li>➤ यह छूट केवल आवासीय धृतियों पर लागू होगी।</li> </ul> <p>Online (<a href="https://udhd.jharkhand.gov.in">https://udhd.jharkhand.gov.in</a>) जमा करने पर 05% की छूट।</p> <p>साथ ही वैसे लोग नगर पंचायत, लातेहार अंतर्गत नए/पुराने/प्लॉट/व्यापारी वर्ग/गैर व्यापारी वर्ग जिन्होने अबतक अपने आवासीय/गैर आवासीय भवनों का Holding Tax जमा नहीं किया है या गलत तरीके से अपने आवासीय/व्यवसायीक प्रतिष्ठानों का Assessment कराया है या कई वर्षों से Holding Tax की बकाया राशि अबतक जमा नहीं किया है। वैसे सभी होलिंगंधारी को निदेशित किया जाता हैं कि आम सूचना प्रकाशन की तिथि से 20 दिनों के अंदर गलत तरीके से किये गये Assessment को Re-Assessment करा लें एवं Trade Licence/Holding Tax का बकाया नगर पंचायत, लातेहार के कार्यालय में स्वतः जमा करें, अन्यथा उक्त तिथि बीत जाने के उपरांत स्थलीय निरीक्षण के क्रम में जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर होलिंग धारकों पर नियमानुसार अर्थ दण्ड शुल्क की वसूली एवं झारखण्ड म्युनिसिपल एक्ट, 2011 के सुसंगत धाराओं के तहत नगर पंचायत, लातेहार द्वारा कार्रवाई की जायेगी, जिसके लिए नए/पुराने/प्लॉट/व्यापारी वर्ग/गैर व्यापारी वर्ग/आवासीय एवं गैर आवासीय मकान मालिक स्वयं जिम्मेवार या दोषी माने जायेगे।</p> <p>प्रशासक,<br/>नगर पंचायत, लातेहार।</p> <p>PR 350708 (Urban Development) 25-26 (D)</p> |

| कार्यालय, नगर पंचायत, लातेहार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>आम सूचना</b></p> <p>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 घटक-4 (BLC) आवास निर्माण हेतु नगर पंचायत, लातेहार क्षेत्र अंतर्गत नये आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। वैसे लाभुक या पात्रता रखते हैं, आवेदन पत्र, वाछित दस्तावेज के साथ प्रज्ञा केंद्र या अपने से ऑनलाईन QR Code/ Link के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, पूर्व में नगर पंचायत, लातेहार कार्यालय में जमा किये गये प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आवेदन मान्य नहीं है। बुकि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें आवेदन सिर्फ ऑनलाईन ही लिये जा रहे हैं। अतः पुनः स्वयं अथवा प्रज्ञा केंद्र में आवेदन आवश्यक रूप से कर लें, जिससे संसमय आप सभी योग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 का लाभ मिल सके।</p> <p><b>प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्रता एवं शर्तें</b> :-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।</li> <li>● आवेदक या आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं हो।</li> <li>● पूर्व से संचालित केन्द्र /राज्य प्रायोजित आवासीय योजनाका का लाभ लिए हुए लाभुक इस योजना के पात्र नहीं होंगें।</li> <li>● आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के होंगे, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम रु0 3 लाख रुपये से कम हो।</li> <li>● आवेदक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक घटक का ही लाभ ले सकते हैं।</li> <li>● आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है :-</li> <li>● आवेदक /आवेदिका के आधार कार्ड एवं मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति</li> <li>● आवेदक /आवेदिका के बैंक काराउंट हेतु पासबुक की छायाप्रति</li> <li>● आवेदक /आवेदिका के आय प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति</li> <li>● भारतवर्ष में कहीं भी पक्का मकान नहीं होने का शपथ पत्र</li> <li>● भू-स्वामित्व पत्र की छाया प्रति</li> <li>● आवेदन हेतु आवेदक /आवेदिका का Active मोबाईल नम्बर जो आधार कार्ड से लिंक हो</li> <li>● आवेदक /आवेदिका का दो पासपोर्ट आकार का फोटो एवं परिवार के सभी सदस्यों के साथ संयुक्त फोटोग्राफ (मकान सहित)</li> </ul> <p>नोट- अधिक जानकारी के लिए कार्यालय नगर पंचायत, लातेहार के प्रधानमंत्री आवास योजना कोषांग (PMAY cell) में सम्पर्क कर सकते हैं एवं कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य कागजात की मांग की जा सकती है।</p> <p>प्रशासक,<br/>नगर पंचायत, लातेहार</p> <p>PR 350707 (Urban Development)25-26*D</p> |

















